न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

(146)

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1465–तीन/2003 निगरानी – विरूद्ध– आदेश दिनांक 22–07–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण क्रमांक 12/1999–2000 अपील

भॅवर सिंह पिता माधव सिंह राजपूत
ग्राम कूमड़ी तहसील व जिला शाजापुर ——आवेदक

विरूद्ध

1– प्रभू 2– आत्माराम 3– चन्दर
4– गणपत 5– राजाराम पुत्रगण नग्गा
सभी ग्राम सापटी तहसील व जिला शाजापुर ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री वीरेन्द्र सिंह सिसोदिया)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित – एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 अप्रेल, 2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 12/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–7–03 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार शाजापुर ने प्रकरण क्रमांक 75 अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 25–5–1999 से नग्गा पुत्र भग्गा आदिवासी को ग्राम सापटी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 8/2/3 रकबा 0–540 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पटटा दिया। इस भूमि को आवेदक ने फर्जी नग्गा पुत्र भग्गा आदिवासी व्यक्ति खड़ा करके स्वयं के हित में विक्रय पत्र दिनांक 26–4–1996 संपादित करवा लिया एंव विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी करवा लिया । मृतक नग्गा पुत्र भग्गा

आदिवासी की पत्नि एंव पुत्रों ने कलेक्टर शाजापुर के समक्ष उक्त आशय का आवेदन देकर भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग की। कलेक्टर शाजापुर ने आवेदक के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 16/1998–99 पॅजीबद्व किया सुनवाई कर आदेश दिनांक 25–5–1999 पारित किया तथा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) ख के उल्लॅघन में विक्रय पत्र पाये जाने से विक्रय पत्र निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का हुआ नामान्तरण भी निरस्त कर दिया तथा भूमि पूर्ववत् शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये।

कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 25–5–1999 के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 12/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–7–03 से अपील निरस्त कर दी। आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ बहस हेतु नियत पेशी 28–2–19 को आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने 15 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। दिनांक 28–2–19 से आज पर्यन्त उनके द्वारा लेखी बहस प्रस्तुत न करने के कारण प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो के आधारों में बताया गया है कि नग्गा ने खसरा व भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका तथा बी–1 दिखाकर उक्त भूमि को भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि बताकर जर्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 216 दिनांक 26–4–96 रू. 18,000/– में विक्रय कर दी है। नग्गा की पत्नि एंव लड़कों ने कलेक्टर शाजापुर को आवेदक के विरूद्व निगरानी आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि आवेदक ने फर्जी नग्गा बनाकर उक्त भूमि का पंजीयन विक्री पत्र दिनांक 26–4–96 से करवा लिया है अतः फर्जी रजिस्ट्री निरस्त कर कब्जा दिलाया जावे। कलेक्टर के आदेश के विरूद्व कमिश्नरी में अपील करने में त्रृटि हो गई

न्याय हित में अपील को निगरानी में कन्वर्ट करने का अवसर देना था। कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। कलेक्टर द्वारा गलत निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा पट्टे पर दी गई होने से बिना सक्षम स्वीकृति के संहिता की धारा 165 (7) ख के उल्लंघन में हैं । निगरानी मेमो के अंत में कलेक्टर एंव अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5/ निगरानी मेमो के तथ्यों के कम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 12/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-7-03 में निर्णीत किया है कि कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर वादग्रस्त आदेश पारित करने में कोई त्रृटि नहीं की है तथा अपीलार्थी ने स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में त्रृटि की है। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग दिये गये आदेश में बैधानिक त्रृटि नहीं है क्योंकि निगरानी आदेश के विरुद्ध निगरानी ही ग्राह्य हो सकती है अपील अग्राह्य रहती है।

6/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर के आदेश दिनांक 25-5-99 के अवलोकन पर पाया गया कि खसरा संबत 2038 में भूमि सर्वे कमांक 8/2/3 पर नग्गा पिता भग्गा पट्टेदार के रूप में अंकित है अर्थात शासन ने नग्गा पिता भग्गा आदिवासी को भूमि पट्टे पर दी थी। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7) ख " जो म0प्र0 राजपत्र दिनांक 28 अक्टूवर 1992 में प्रकाशित म0प्र0 अधिनियम कमांक 17 सन 1992 की धारा 3 के खंड (दो) द्वारा इस प्रकार स्थापित की गई है इस प्रकार है " :-

> 165 (7-ख) उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है , अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पटटेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता हे, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्व किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना नहीं करेगा।

वादग्रस्त भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना पंजीयन विक्रय पत्र दि. 26-4-96 से हुआ है, जबकि संहिता की धारा 165 (7-ख) का उक्तानुसार सँशोधन , म0प्र0 राजपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 1992 में प्रकाशित अनुसार लागू है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 25-5-1999 में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं जिसके कारण कलेक्टर शाजापुर के आदेश दिनांक 25-5-1999 में एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 22-7-03 में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–7–03 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर